

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

**PART III—Section 4** 

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62] No. 62] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2018/माघ 27, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2018/MAGHA 27, 1939

#### वास्तुकला परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक प्राधिकरण )

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2017

#### वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017

संदर्भ सं. सी.ए / 28 / 2017 / वा.रि.-निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:--

वास्तुकला परिषद् वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित किया गया है। परिषद् को 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

#### संगठनात्मक संरचनाः

वास्तुकला परिषद् का अध्यक्ष संगठन का प्रमुख होता है जिसके समग्र प्रभार के अधीन परिषद् काम करती है। श्री बिषवरंजन नायक वर्तमान में परिषद् के अध्यक्ष हैं।

#### साविधिक तथा अन्य समितिया :

वास्तुविद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उद्देशों को पूरा करने के लिए परिषद् ने सांविधिक सिमितियां गिठत की हैं, यथा कार्यकारिणी सिमिति, जो परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है, अनुशासन सिमिति, जो शिकायतों की जांच—पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जांच करती है, सलाहकार सिमिति (अपील) जो उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के मामले परिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इनके अलावा, विशेष / खास प्रयोजनों के लिए समय—समय पर कई अन्य सिमितियां गठित की जाती हैं।

परिषद् ने विदेशी अर्हताओं की मान्यता हेतु केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों की जांच हेतु एक उप-समिति गठित की है।

कार्यकारिणी समिति ने बी.आर्की / एम.आर्की पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए नए संस्थानों से तथा विस्तार अनुमोदन / अतिरिक्त इनटेक के लिए वर्तमान संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / आवेदनों की संवीक्षा करने हेतु संवीक्षा समिति भी गठित की है।

918 GI/2018 (1)

#### बैठकें:

- क. परिषद् : रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की दो बैठकें हुई। 66वीं बैठक 25 अगस्त, 2016 को तथा 67वीं बैठक 11 मार्च, 2017 को आयोजित हुई।
- ख. कार्यकारिणी समिति : वर्ष 2016—2017 के दौरान, कार्यकारिणी समिति की 15 बैठकें हुई अर्थात् 23 और 24 अप्रैल, 2016 को 156वीं बैठक, 4 और 5 मई, 2016 को 157वीं बैठक, 3 और 4 जून, 2016 को 158वीं बैठक, 16 और 17 जून, 2016 को 159वीं बैठक, 7 और 8 जुलाई, 2016 को 160वीं बैठक, 25 जुलाई, 2016 को 161वीं बैठक, 6 अगस्त, 2016 को 162वीं बैठक, 24 अगस्त, 2016 को 163वीं बैठक, 17 सितम्बर, 2016 को 164वीं बैठक, 16 अगस्त, 2016 को 165वीं बैठक, 5 नवम्बर, 2016 को 166वीं बैठक, 10 दिसम्बर, 2016 को 167वीं बैठक, 14 जनवरी, 2017 को 168वीं बैठक, 18 फरवरी, 2017 को 169वीं बैठक तथा 10 मार्च, 2017 को 170वीं बैठक हुई।

#### रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों का सारांश नीचे दिया जा रहा है :-

1.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन परिषद् द्वारा रखे गए वास्तुविद् रिजस्टर में नामों को फिर से चढ़ाना : परिषद् ने अपनी 66वीं बैठक में 01.01.2016 से 31.07.2016 तक की अविध में 1642 चूककर्ता वास्तुविदों के नामों को अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद वास्तुविद् रिजस्टर में पुनः दर्ज किए।

परिषद् ने अपनी 67वीं बैठक में 01.08.2016 से 31.01.2017 तक की अवधि में 780 चूककर्ता वास्तुविदों के नाम अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद वास्तुविद् रजिस्टर में पुनः दर्ज किए।

2.0 निवेदन करने पर तथा निधन होने पर वास्तुविद् रिजस्टर से नामों को हटाना : परिषद् ने अपनी 66वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(ए) के तहत निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनके द्वारा निवेदन करने पर वास्तुविद रिजस्टर से हटाए :—

- 1) श्री रमाकांत वामन पाटिल, सीए/96/19579, मुंबई;
- 2) सुश्री राखी नित्यानंद दासगुप्ता, सीए / 94 / 17540, दिल्ली;
- 3) श्री श्रीकांत अदिगोपुला, सीए/99/24360, आस्ट्रेलिया ;
- 4) श्री गोपाल वामन अठावले, सीए / 76 / 2778, पुणे ;
- 5) सुश्री वंदना मित्तल, सीए/2006/38320, नवी मुंबई;
- 6) सुश्री अन्नु जैकब, सीए/2012/57440, कोट्टयम;
- 7) सुश्री निकिता ज्ञानचंदानी, सीए/2012/57479, नागपुर;
- 8) श्री विनायक हरिदास, सीए/1976/03135, दिल्ली;
- 9) सुश्री डौली चौहान, सीए/2009/44875, पुणे;
- 10) श्री शरद गणपतराव चहवान, सीए / 1976 / 3346, सांगली;
- 11) श्री विकास कृष्णजी जोशी, सीए/1981/6633, पुणे;
- 12) सुश्री रमिंदर भाटिया, सीए / 1983 / 7501, चंडीगढ़;
- 13) सुश्री अरूणा श्री रेड्डी, सीए/1998/23031, कोजिकोड;
- 14) श्री आंचल जैन, सीए/2001/27232, गुड़गॉव;
- मो. हम्मद, सीए / 2012 / 56949, दिल्ली;
- 16) सुश्री दिव्या टी., सीए/2014/65861, यूएसए;
- 17) श्री एन.एस. भोज, सीए / 1988 / 11830, यूएसए;
- 18) सुश्री आर.के. झावेरी, सीए / 1989 / 11990, मुंबई;
- 19) श्री वी.टी. कोटा, सीए/1977/3755, सोलापुर;
- 20) श्री जयंत राठी, सीए/2013/61344, पंचकुला;

परिषद् ने अपनी 66वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(बी) के अधीन निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनकी मृत्यु पर वास्तुविद् रिजस्टर से हटा दिए :--

- 1) श्री सलील अरविंद खरे, सीए/96/19848,थाने ;
- 2) श्री डी.एम. बाटलीवाला, सीए / 75 / 589, मुंबई;
- 3) श्री राधा कृष्ण नांगिया, सीए/1980/5818, दिल्ली;
- 4) श्रीमती सरोज जोशी, सीए / 1975 / 00353, दिल्ली;
- 5) श्री उट्टी जकारिया, सीए/1975/1011, बैंगलोर;
- 6) श्री बी.एल. चढ्ढा, सीए/1975/1869, दिल्ली;
- 7) श्री सुरेश चंद्रगुप्ता, सीए/1977/3742, दिल्ली,
- 8) श्री हरेश्वर मुकुंद पठारे, सीए/1978/4642, मुंबई;

- 9) श्री जी. डी. शाह, सीए / 1978 / 4819, अहमदाबाद, और;
- 10) श्री अनिल लाल, सीए / 1975 / 1807, फरीदाबाद;

परिषद् ने अपनी 67वी बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(ए) के तहत निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम भी उनके द्वारा निवेदन करने पर वास्तुविद् रिजस्टर से हटा दिए :--

- 1. सुश्री नेहा गोयल, सीए / 2010 / 50957,यूएसए ;
- 2. श्री प्रवीण कुमार वी. टिपनिस, सीए/81/6127,नासिक;
- 3. श्री पांडुरंग वी. देषपांडो, सीए/97/21429,भोपाल;
- 4. सुश्री रनेहलता वी. कुलकर्णी, सीए / 75 / 1087, मुंबई,
- 5. श्री हरभजन सिंह, सीए/75/2061,नई दिल्ली;

परिषद् ने अपनी 67वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(बी) के अधीन निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनकी मृत्यू पर वास्तुविद् रिजस्टर से हटा दिए :--

- 1. श्री जे.आर. भल्ला, सीए / 75 / 1150, नई दिल्ली;
- 2. श्री वरूणेश्वर सेन, सीए/82/6869, जयपुर; और
- 3. श्रीमती रोज मेरी सचदेव , सीए / 75 / 1382, दिल्ली;

#### 3.0 परिषद् के पदाधिकारियों का चुनाव :

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निर्वोचन अधिकारी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित किए। दिनांक 23.05.2016 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में श्री बिषवरंजन नायक तथा उपाध्यक्ष के रूप में श्री विजय गर्ग निर्वाचित किए गए। इसके अतिरिक्त, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के रूप में सुश्री रानी वेदमुत्थु, श्री आलोक रंजन, श्री अमित्व रॉय, श्री अभय वी. पुरोहित तथा श्री अमोघ कुमार गुप्ता निर्वाचित किए गए थे।

#### 4.0 अनुशासन समिति की बैठकें :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अनुशासन समिति की कोई भी बैठक / सुनवाई सदस्यों के लगातार परिवर्तन के कारण आयोजित नहीं हो पाई। परिषद् ने अनुषासन समिति के शीघ्र पुर्नगठन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है।

समिति ने अपनी 66वीं बैठक में श्री आर. राधाकृष्णन के स्थान पर अनुषासन समिति के सदस्य के रूप में श्री एन.के. नेगी को निर्वाचित किया है।

#### 5.0 वास्त्विदों का पंजीकरण :

परिषद् वास्तुविद् अधिनियम की धारा 25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में ऐसे व्यक्ति का नाम पंजीकृत करती है, जो भारत में रहता हो या वास्तुकला का व्यवसाय करता हो और जो मान्यता प्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता रखता है। पंजीकरण के लिए आवेदन तथा फीस का भृगतान ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार्य हैं।

वर्ष (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017) के दौरान परिषद् ने वास्तुविदों के रूप में 7404 व्यक्तियों का पंजीकरण किया। इस प्रकार 31 मार्च, 2017 तक वास्तुकला परिषद् में वास्तुविदों के रूप में कुल 82053 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2017 तक 66279 व्यक्तियों के वास्तुकला परिषद् में वैध पंजीकरण हैं।

#### 6.0 वास्तुविदों के विरूद्ध व्यावसायिक कदाचार की शिकायतें :

प्रत्येक वास्तुविद् से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 2003 में संशोधित वास्तुविद् (वृत्तिक आचरण) विनियमावली, 1989 के उपबंधों का पूर्णतः पालन करेगा। वास्तुविद् अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वास्तुविद् को जांच—पड़ताल और सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

परिषद् द्वारा अपनी 66वीं बैठक में वास्तुविदों के विरूद्ध व्यावसायिक कदाचार संबंधी 17 षिकायतों पर विचार किया गया। परिषद् द्वारा 6 षिकायतों को खारिज कर दिया क्योंकि संबंधित वास्तुविदों के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया था। परिषद् द्वारा 3 षिकायतों को अनुषासन समिति को जॉच हेतु सौंपा गया। 2 षिकायतों को आस्थिगत रखा गया क्योंकि ये मामले विचाराधीन थे तथा एक षिकायत को विस्तृत जॉच के लिए एक परिषद् के सदस्य को भेजा गया।

परिषद् द्वारा अपनी 67वीं बैठक में वास्तुविदों के विरूद्ध व्यावसायिक कदाचार संबंधी 15 शिकायतों पर विचार किया गया। परिषद् द्वारा 8 षिकायतों को खारिज किया गया क्योंकि प्रतिवादी वास्तुविदों के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया। 1 षिकायत को आस्थगित कर दिया गया क्योंकि मामला विचाराधीन था, 4 षिकायतों पर विचार विचार नहीं किया जा सका क्योंकि परिषद् के सदस्यों से प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। 1 मामलें में परिषद् ने विविध राय लेने का निर्णय लिया तथा गैर—रख—रखावयोग्यता के आधार पर 1 षिकायत को खारिज किया गया।

#### 7.0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की आपूर्ति :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन 81 आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त हुए तथा 2 प्रथम अपीलों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, पीआईओ, सीओए के विरूद्ध दर्ज 5 द्वितीय अपीलों का भी केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटान किया गया।

#### 8.0 10+2 स्तर में "वास्तुकला" **विषय** का **प्रवेश**

परिषद् ने 10+2 स्तर में वास्तुकला विषय का मसौदा पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए वास्तुविद् पुनीत सेठी, डॉ. विभूती सचदेव, वास्तुविद् गीता बालाकृष्ण, वास्तुविद् अमीत बब्बर, वास्तुविद एस.बी. आचार्य तथा श्री सुरजीत चटर्जी की एक सिमित गठित की है। चूंकि वास्तुकला एक वृत्तिक कोर्स है तथा वर्तमान में स्नातक तथा उच्चतर स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः सीबीएसई तथा अन्य राज्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में 10+2 स्तर में वास्तुकला विषय का प्रवेष करना अत्यावष्यक है ताकि वास्तुकला प्रोफेशन में प्रवेश करने वाले इच्छुक छात्रों को वास्तुकला विषय की जानकारी हो जाए तथा इस प्रोफेशन के लिए उनकी कुशाग्रता एवं योग्यता विकसित हो जाए।

मोडल पाठ्यक्रम को तैयार करने के पश्चात, परिषद् ने दिनांक 29.09.2016 के अपने पत्र द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से सीबीएसई तथा अन्य राज्य बोर्डों द्वारा 10+2 स्तर में एैच्छिक पाठ्य विषय के रूप में वास्तुकला को शामिल करने का अनुरोध किया।

मंत्रालय ने परिषद् के प्रस्ताव को उनकी टिप्पणियों / संस्तुतियों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) को अग्रेषित किया है। एनसीईआरटी ने दिनांक 06.01.2017 के अपने पत्र द्वारा यह संस्तुत किया कि समग्र रूप से पाठ्यकम बहुत उत्कृष्ट है तथा यह उच्चतर षिक्षा हेतु छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा। परिषद् ने एनसीआरटी से 10+2 स्तर में "वास्तुकला" विषय का प्रवेष करने के लिए उपयुक्त दिशा–निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। मामले के संबंध में एमएचआरडी के दिषा–निर्देष प्रतीक्षित हैं।

#### 9.0 संस्थानों से चार्ज किए जाने वाले विभिन्न शुल्कों का संघोधन :

परिषद् ने अपनी 67वीं बैठक में वास्तुकला संस्थानों से चार्ज किए जाने वाले विविध शुल्कों को निम्नानुसार संशोधित किया है :

क) बी.आर्की / एम.आर्की के नए कोर्स का प्रवेश : 5.00 लाख रूपए ख) प्रति कोर्स अनुमोदन का विस्तार : 1.00 लाख रूपए ग) प्रति 40 सीटों का अतिरिक्त इनटेक : 2.00 लाख रूपए घ) संस्थान के नाम / स्थान में बदलाव : 2.00 लाख रूपए ड) संस्थान का बंद होना : 5.00 लाख रूपए च) समीक्षा चार्ज : 0.50 लाख रूपए

परिषद् ने निर्णय लिया कि उपर्युक्त चार्ज शैक्षिक वर्ष 2017—18 के लिए लागू होंगे तथा शैक्षिक सत्र 2018—19 के लिए इन चार्जों पर पुनःविचार किया जा सकता है।

#### 10.0 शैक्षा-सत्र 2016-2017 में नए संस्थानों का अनुमोदन :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बैचलर ऑफ आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 33 नए संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वर्तमान 5 संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस प्रकार, वर्ष 2017—2018 में परिषद् के अनुमोदन से वास्तुकला में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों की कुल संख्या बढ़कर 458 हो गई। छात्रों की वार्षिक प्रवेश संख्या अनुमानतः पूर्वस्नातक (यूजी) स्तर पर 25437 (लगभग), स्नाकोत्तर (पीजी) स्तर पर 1560 और पीएच—डी स्तर पर 20 है।

#### 11.0 शिक्षा-सत्र 2016-2017 से आगे अनुमोदन का विस्तार :

वास्तुकला परिषद् ने शिक्षा—सत्र 2016—2017 के लिए यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के अनुमोदन या अन्यथा की अवधि निम्नलिखित ढंग से बढाई:

- (i) वे संस्थान जिनमें 2016—2017 से आगे वर्तमान या अधिक दाखिले सहित बी. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढाई गई: 323
- (ii) वे संस्थान जिनमें 2016—2017 से आगे के लिए वर्तमान या अधिक दाखिले सिहत एम. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अविध बढाई गई: 31
- (iii)वे संस्थान जिनमें वर्ष 2016—2017 के लिए कोई ''प्रवेश नहीं'' घोषित किया गया : 07
- (iv) वे संस्थान जिनकी 2016-2017 हेत् 'मान्यता वापस' ली गई : 01

परिषद् ने शिक्षा—सत्र 2017—2018 के लिए उन संस्थाओं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिनका निरीक्षण किया जाना है।

#### 12.0 बी.आर्की. कोर्स में प्रवेश के लिए पात्रता :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 19.01.2017 के अपने पत्र सं.एफ.नं. 4–65/2016–टीएस.VI द्वारा बी.आर्की. में प्रवेश के लिए पात्रता निम्नानुसार अनुमोदित की है :

"कोई भी उम्मीदवार वास्तुकला कोर्स में प्रवेश तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि उसने भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा गणित में 50% अंको से 10+2 स्कीम की परीक्षा के अंतिम चरण की परीक्षा तथा साथ ही, 10+2 स्कीम की परीक्षा में कुल 50% अंको से उत्तीर्ण न की हो।"

सीओए वास्तुकलात्मक षिक्षा के न्यूनतम मानक विनिमय, 1983 को तदनुसार संशोधित किया गया तथा शीघ्र ही भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना भी प्रकाशित की जाएगी।

#### 13.0 वास्तुकला परिशद् प्रविक्षण एवं अनुसंघान केंद्रों की स्थापना :

परिषद् ने अपनी 66वीं बैठक में वास्तुकलात्मक संस्थानों के फैकल्टी सदस्यों और अभ्यासरत वास्तुविदों को प्रशिक्षण देने तथा साथ ही, कई विशिष्ट आकार के भवनों के लिए अनिवार्य बीईई के ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) में ऑनलाइन परीक्षा कार्यक्रम और प्रशिक्षण प्रमाणन आयोजन करने के लिए पुणे, बैगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर और दिल्ली में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। सुश्री जयश्री देशपांडे, निदेशक द्वारा टीआरसी पुणे के कार्यों का संचालन किया जा रहा है तथा सुश्री इष्पता दास, रिसर्च एसोशिएट को टीआरसी भुवनेश्वर का प्रभारी बनाया गया है।

#### 14.0 केंद्रीय सरकार द्वारा वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन विदेशी अर्हताओं की मान्यता :

परिषद् को विदेशी यूनिवर्सिटियों द्वारा दी गई वास्तुकला डिग्री को मान्यता देने के लिए केंद्रीय सरकार से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

विदेशी योग्यताओं को मान्यता देने संबंधी सभी मामलों की जांच करने एवं विचार करने के लिए परिषद् द्वारा विदेशी योग्यताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए एक उप—समिति गठित की गई है जिसमें श्री किरण महाजनी, कन्वेनर, श्री राजीव मिश्रा, सदस्य, श्री जे. मनोहरन, सदस्य तथा श्री चंदन परब, सदस्य सिम्मिलत हैं।

समिति द्वारा विदेषी योग्यताओं की मान्यता हेतु प्राप्त संदर्भों की जांच करने के लिए दिनांक 25 जुलाई, 2016 तथा 17 दिसंबर, 2016 को बैठकें आयोजित की गई। समिति द्वारा 16 संदर्भों की जांच की गई तथा परिषद् को अपनी रिपोर्ट/अनुशंसाएं दी गई।

#### 15.0 वास्त्विद् अधिनियम, 1972 में विस्तृत संषोधन :

परिषद् ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 में विस्तृत संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय ने उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु श्री जे. आर. भल्ला, वास्तुविद्, पूर्व—अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मंत्रालय ने दिनांक 04.07.2017 के अपने पत्र सं. 4–52/2013–टीएस.VI द्वारा परिषद् से भल्ला समिति रिपोर्ट की अनुशंसाओं के अनुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा।

अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद् ने मामले के विस्तृत अध्ययन तथा मामले पर अपनी अनुषंसाएं प्रस्तुत करने के लिए श्री भिमल पटेल, सदस्य, वास्तुकला परिषद् की कन्वेनरिषप में एक समिति गठित की।

### वास्तुविदों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम : क. प्रशिक्षण कार्यकम : 16.0

सीओए—टीआरसी द्वारा पिछले वर्ष पुणे तथा अन्य शहरों में शिक्षकों और पेशेवर वास्तुविदों के लिए 24 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में देशभर से 570 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क. सं.	कार्यक्म का नाम	संयोजक का नाम	दिनांक	प्रतिभागी संख्या
1.	रिजनल फैकल्टी इंडक्षन कार्यक्रम, एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लांनिग, एमिटी यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल, कोलकाता	प्रो जयश्री देषपाण्डे	18 अप्रैल —22 अप्रैल, 2016	13
2.	रिजनल फैकल्टी इंडक्षन कार्यक्रम, तुलसीरामजी गायकवाड़–पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, नागपुर	प्रो जयश्री देशपाण्डे	25 अप्रैल —29 अप्रैल, 2016	16
3.	रिजनल फैकल्टी इंडक्षन कार्यक्रम, डॉ. डी. वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, नेरूल, नवी मुंबई	प्रो अख्तर चौहान	24 मई —28 मई, 2016	31
4.	सस्टेनेबिलिटी सेंसिटाइजिंग कार्यषाला, सीओए–टीआरसी, पुणे	सुश्री संगीता कपूर	08 जून —10 जून, 2016	22
5.	फैकल्टी इंडक्षन कार्यक्रम सीओए-टीआरसी पुणे	प्रो जयश्री देषपाण्डे	20 जून —30 जून, 2016	20
6.	इनटैक टीटीपी के सहयोग से सीओए—अंडरस्टैंडिंग ए मैथोडॉलिजी फॉर आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन एंड डोक्यूमेंटेशन ऑफ हैरिटेज जोन्स, सत्यभामा यूनिवर्सिटी, चेन्नई		11 जुलाई—15 जुलाई, 2016	23
7.	हैंडलिंग डिजर्टेशन एंड आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट (थिसिस) एट यूजी लेवल इन आर्किटेक्चर, सीओए—टीआरसी, पुणे	प्रो प्रियंवदा चिताले	18 जुलाई—22 जुलाई, 2016	22
8.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, मोहम्मद साथक ए.जे. एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर, चेन्नई	प्रो जयश्री देषपाण्डे	19 सितम्बर—23 सितम्बर, 2016	23
9.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, रॉयल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, गुवाहाटी	प्रो जयश्री देषपाण्डे	03 अक्तूबर—07 अक्तूबर, 2016	19
10.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, सुषांत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर, अंसल यूनिवर्सिटी, गुडगॉव	प्रो जयश्री देषपाण्डे	17 अक्तूबर—21 अक्तूबर, 2016	43
11.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, वीआईटी यूनिवर्सिटी, वेल्लोर	प्रो जयश्री देषपाण्ड	21 नवम्बर—25 नवम्बर, 2016	20
12.	इंटिग्रेशन ऑफ एलाइड सब्जेक्ट्स इन आर्किटेक्चरल एजूकेशन, भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, नवी मुंबई	प्रो रीतू देषमुख	28 नवम्बर—02 दिसम्बर, 2016	34
13.	नवीं मुंबई आर्किटेक्चरल डिजाइन : एटिट्यूडस एंड एप्रोचेज, एसएमएआईडी, न्यू वल्लभ विद्यानगर	प्रो प्रीति शाह	05 दिसम्बर—09 दिसम्बर, 2016	19
14.	रिसर्च इन आर्किटेक्चर : फ्रोम डिजर्टेशन टू डॉक्टोरल स्टडीज, कलासलिंगम स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, कृष्णनकोइल	डॉ. एन. लक्ष्मी थिलगम	13 दिसम्बर–17 दिसम्बर, 2016	23
15.	फ्रोम लिटररी फ्रेजेज टू आर्किटेक्चरल स्पेसेज दी डिजाइन–थ्योरी वर्कषॉप, सीओए–टीआरसी, पुणे	प्रो फातीमा कबीर	19 दिसम्बर—23 दिसम्बर, 2016	22
16.	रिसर्च इन आर्किटेक्चर, श्रीमती मनोरमाबाई मुंडले, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, नागपुर	डॉ उज्जवला चक्रदेव	16 जनवरी—20 जनवरी, 2017	25
17.	कम्प्यूटिंग इन आर्किटेक्चरल एजूकेशन, प्रेक्टिस एंड रिसर्च, मैकगेन्स ऊटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, कोटागिरी	प्रो साबू फ्रांसिस	23 जनवरी—27 जनवरी, 2017	14

18.	फैकल्टी इंडक्षन एंड ट्रेनिंग कार्यक्रम-ससटिचेबिलिटी,	प्रो जयश्री देषपाण्डे	06 फरवरी—10	13
	एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, दुबई		फरवरी, 2017	
	कैंपस		·	
19.	एडवांसड बिल्डिंग सर्विसिज फॉर आर्किटेक्ट्स, दयानंद	प्रो रमा स्ब्रमनियम	13 फरवरी—17	25
	सागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बैंगलोर		फरवरी, 2017	
20.	डिजाइन एंड रिसर्च मैथेडॉलोजी इन आर्किटेक्चर,	प्रो दिव्या गुप्ता	20 फरवरी—24	34
	स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, दिल्ली टेक्नीकल कैंपस,		फरवरी, 2017	
	ग्रेटर नोएडा			
21.	टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन आर्किटेक्चरल एजूकेशन,	प्रो एन रामास्वामि अय्यर	27 फरवरी—03	16
	वैष्णवी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग		मार्च, 2017	
	विजयवाड़ा			
22.	कंस्ट्रक्चर : एक्सप्लोरिंग दी सिम्बॉइसिस बिटवीन	प्रो सागर टी.एस.	06 मार्च-10 मार्च,	29
	मेटिरियल, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन इन आर्किटेक्चर,		2017	
	स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर			
	सिद्धगंगा इंसटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस, तुम्कूर			
23.	रिसर्च एंड टेक्निकल पेपर राइटिंग इन आर्किटेक्चर,	प्रो कल्पना मंचली	14 मार्च— 18 मार्च,	33
	श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, माधेपुर		2017	
24.	बेसिक बिल्डिंस साइंस एंड सेम्यूलेशंस फॉर सस्टेनेबल	डॉ. शीना वालसन	20 मार्च- 24 मार्च,	31
	बिल्डिंगस,		2017	
	श्री दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, नागपुर			
	-		कुल प्रतिभागी	570

#### राष्ट्रीय वास्तुकला शोध—प्रबंध में विशिष्टता पुरस्कार कार्यक्रम :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने निम्नलिखित यूजी एवं पीजी वास्तुकला षोध-प्रबंध पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किएः

#### 🕨 स्नातक :

वास्तुकला परिषद् ने युवा प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व—स्नातक शोध—प्रबंध परियोजनाओं हेतु वास्तुकला शोध प्रबंध कार्यक्रम में विशिष्टता हेतु 11वां राष्ट्रीय पुरस्कार आयोजित किया। आंचलिक कार्यक्रम निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए:—

मण्डल	स्थान	संयोजक कॉलेज
1	अहमदाबाद	. , , ,
2	हावडा़	वास्तुकला, नगर और क्षेत्रिय नियोजन विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नॉलोजी, शिवपुर, हावडा़
3	पुणे	मराठवाडा मित्रा मंडल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे
4	चेन्नई	सिएएडी–चेन्नई एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, चेन्नई
5	कोल्लम	स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोल्लम

आचंलिक जूरी के निम्नलिखित सदस्य थे:-

1.	मण्डल 1	वास्तुविद अभिजीत शिरोड़कर, वास्तुविद अरविंदन रंगन, वास्तुविद बी.एस.भूषण
2.	मण्डल 2	वास्तुविद बलबीर वर्मा, वास्तुविद पद्मश्री गोपालन नायर शंकर, वास्तुविद शालिनी दासगुप्ता
3.	मण्डल 3	वास्तुविद गोपाल स्वरूप, वास्तुविद मोना डॉक्टर, वास्तुविद संदीप सेन
4.	मण्डल ४	वास्तुविद आनिंदया बासु, वास्तुविद पार्थ रंजन दास, वास्तुविद रूपा राजे गुप्ता
5.	मण्डल 5	वास्तुविद बंदना जैन, वास्तुविद नीरज सौनिक, वास्तुविद शारदा सेजपाल

नेशनल जूरी का आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा में किया गया। वास्तुविद् डी.डी. रॉय, वास्तुविद् सबिना खन्ना तथा वास्तुविद् एस.एस. रे नेशनल फाइनल्स के लिए जूरी के सदस्य थे।

#### स्नातोत्तर :-

परिषद् द्वारा स्नाकोत्तर शोध—प्रबंध परियोजनाओं के लिए तृतीय शोध—प्रबंध में नेशनल विटिता पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन देशभर से वास्तुकला में स्नातोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रेरित करने तथा उनका उत्साहवर्धन करने तथा वास्तुकला स्कूलों में अनुसंधान प्रक्रिया के विकास करने के उद्देष्य के साथ किया गया।

राष्ट्रीय जूरी का आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा में किया गया। नेशनल फाइनल के लिए जूरी के सदस्य थे :– वास्तुविद् एजीके मेनन, वास्तुविद उजान घोष तथा वास्तुविद् यतिन पांडया।

पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का पुरस्कार वितरण समारोह 16 दिसंबर, 2016 को चिन्मय मिशन में आयोजित किया गया। माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु मुख्य अतिथि थे। श्री सतेन्द्र जैन माननीय पीडब्ल्यूडी तथा स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार विशिष्ट अतिथि थे।

#### 17.0 वास्तुकला संस्थानों में दाखिल बी.आर्क पाठ्यकम के छात्रों को पंजीकरण नंबर जारी करना :--

परिषद् संस्थानों द्वारा दाखिल छात्रों को पंजीकरण संख्या जारी कर रही है तािक यह सुनिषिचत किया जा सके कि छात्रों के पास परिषद् द्वारा निर्धारित पात्रता है तथा साथ ही वे परिषद् द्वारा स्वीकृत इनटेक के अंतर्गत दाखिल हुए हैं। संस्थानों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर परिषद् नामांकन को ऑनलाइन जारी कर रही है।

#### 18.0 वास्तुकला में राष्ट्रीय एप्टीटयूड टेस्ट

ऐसे भावी छात्रों के लिए जो वास्तुकला पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा आयोजित की गई।

नाटा परीक्षा 2016 की स्थिति निम्नानुसार है :-

- नियुक्तियों / टेस्ट की कुल संख्या : 83416 / 74938 क्रमषः
- कुल उत्तीर्ण उम्मीदवार : 30783
- कुल उत्तीर्ण उम्मीदवार : (विषिट प्रयास) 56394
- उच्चतम स्कोर : (विशिष्ता प्रयास) 168

शैक्षिक सत्र 2017—18 के लिए एप्टीट्यूड परीक्षा का रविवार, 16 अप्रैल, 2017 को एक ही दिन आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

#### 19.0 सरकारी विभागों / उपक्रमों द्वारा वास्तुविदों का चयन :

वास्तुकला परिषद् द्वारा अनेक सरकारी प्राधिकरणों को यह लिखित रूप में कहा गया है कि वे केवल वास्तुकला प्रतियोगिता दिशा-निदेशों के अनुरूप ही वास्तुविद्ों की नियुक्तियां करें और निविदा आधार पर निम्नतम शुल्क के भुगतान पर वास्तुविद्ों की नियुक्ति ना करें। परिषद् ने विभिन्न सरकारी विभागों से वास्तुकला डिजाइन प्रतियोगिताओं को आयोजित कर वास्तुविदों को नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 इसके तहत बने विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप परामर्शदाता की नियुक्ति संबंधी मैनुअल संशोधित करने हेतु व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से भी अनुरोध किया है क्योंकि वास्तुविद् के चयन / नियुक्ति हेतु सभी सरकारी विभागों द्वारा इस मैनुअल का अनुसरण किया जा रहा है।

परिषद् द्वारा वास्तुकला पेशे को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर अपना दखल देने के लिए भारत के माननीय नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक से भी अनुरोध किया गया है। इस मामले में अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद् ने सीएजी के साथ भी बैठक की। परिषद् ने कंसल्टेंट्स वास्तुविदों की नियुक्ति की प्रक्रिया के मेनुअल में बदलाव का सुझाव देते हुए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भी लिखा है।

#### 20.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 और इसके अधीन तैयार विनियमों को लागू करनाः

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 36 और 37 के अधीन वास्तुविद् के रूप में अयथार्थ रूप प्रस्तुत करने के साथ—साथ वास्तुकला की पद्वी और शैली का दुरूपयोग निषेध है और इस का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। वास्तुविद् की पद्वी और शैली के दुरूपयोग के संबंध में शिकायत मिलने पर परिषद् द्वारा अनुच्छेद 39 के अधीन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराधों का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दर्ज करायी गई।

परिषद् उन व्यक्तियों के विरूद्ध मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष दर्ज की गई आपराधिक शिकायतों का तेजी से अनुसरण कर रही है जिन्होंने वास्तुविद अधिनियम, 1972 के उपबंधों का उल्लंघन किया है और वास्तुविद् की पद्वी और शैली का अयथार्थ रूप प्रस्तुत या दुरूपयोग किया है। इस समय 16 शिकायतें न्यायालय में लंबित हैं।

#### 21.0 प्रकाशनः

परिषद् द्वारा अपनी पत्रिका "टाइम स्पेस एंड प्यूपल" मैसर्स लाइफ स्टाइल मीडिया, नई दिल्ली के सहयोग से मुद्रित एवं प्रकाशित की जा रही है।

निम्नलिखित पुस्तक प्रिंटिंग की प्रकिया में है तथा शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी :

• आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थैसिस 2012

निम्नलिखित पुस्तक तैयार है तथा शीव्र ही प्रिंट एवं प्रकाशित होने की आशा है :

• आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थैसिस 2015

निम्नलिखित संदर्भ जर्नल तैयार है तथा प्रिंटिंग आदेश की प्रतीक्षा में है :

- जर्नल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (जेसीओए)–हाउसिंग निम्नलिखित जर्नल की पीयर समीक्षा का कार्य प्रगति पर है :
  - जर्नल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (जेसीओए-सस्टेनेबल डेव्लपमेंट)
  - जर्नल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (जेसीओए)–हैरिटेज एंड कंजरवेशन

#### 22.0 आभार:

वास्तुकला परिषद् अपने स्वयं के संसाधन द्वारा अत्यल्प स्टाफ के साथ अखिल भारतीय स्तर पर दक्षतापूर्वक काम कर रही है । परिषद् केंद्रीय सरकार, तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों, सभी राज्य सरकारों और सभी वास्तुकला विद्यालयों को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए उनका धन्यवाद और प्रशंसा करती है। परिषद् अपने पदाधिकारियों और वास्तुकला परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों, लेखापरीक्षकों, अधिवक्ताओं, अन्य व्यावसायिक निकायों, प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों, शिक्षाविदों और सभी विज्ञापन दाताओं के प्रति वास्तुविद् अधिनियम,1972 के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग, मार्ग—दर्शन, सलाह तथा समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् अपने अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2016—2017 के दौरान उसे उपयोगी सेवाएं प्रदान कीं।

> आर.के. ओबराय, रजिस्ट्रार [विज्ञापन-III/4/असाधारण/434/17(97)]

नई दिल्ली दिनांक : 20.09.2017

शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार जे–189, भूमिगत तल, जे–ब्लोक मार्केट के समीप, साकेत, नई दिल्ली–110017 भारत फोनः +91–11–41555445, मो. +91–9810570480, 9811488709

#### लेखापरीक्षक रिपोर्ट

हमने **"वास्तुकला परिषद्"**, इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर 6 ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली—110003 के 31 मार्च, 2017 के संलग्न तुलन—पत्र तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आय—व्यय लेखा एवं प्राप्ति तथा अदायगी लेखा, जिसमें परिषद् के कार्यालयों के सभी लेखे शामिल हैं, की परीक्षा कर ली है । ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करना है ।

हमने आज तक अधिसूचित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सामान्यतः स्वीकृत किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की हैं। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं तािक वित्तीय विवरण किसी विशेष गलत विवरण से मुक्त रहे। लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना और वित्तीय विवरणों में रािश एवं प्रकटनों का पोशक साक्ष्य शािमल होता है । चयिनत प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधािरत होती है जिसमें धोके या गलती से वित्तीय विवरणों के गलत भौतिक विवरण के जोिखम का मूल्यांकन शािमल होता है। उन जोिखम मूल्यांकनों के निर्माण में लेखापरिक्षक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के डिजाइन के अनुसार वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुतीकरण और निर्माण के लिए दिए गए आंतरिक नियंत्रणों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं किन्तु आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर मत व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमान और समूचे वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शािमल होता है । हमें विश्वास है कि अनुलग्नक सं. 14— लेखाओं के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीितयां नोट सं. 02 से 22 तक हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती है ।

#### हम यह भी रिपार्ट देते हैं कि :

- 1. हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
- 2. हमारी राय में, हमने लेखा बहियों की जो जांच की है उससे यह प्रकट होता है कि परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 द्वारा अपेक्षित रूप में उचित लेखा बहियां रखी हुई हैं;
- 3. रिपोर्ट से जुड़े तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा और प्राप्ति एवं अदायगी लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं; और
- 4. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार संलग्न अनुसूचियों सहित और लेखाकरण नीतियों के भाग के रूप में टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण द्वारा—
  - (क) 31 मार्च, 2017 को परिषद् की कार्यस्थिति से संबंधित तुलन-पत्र और
  - (ख) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय संबंधित आय—व्यय लेखे।
  - (ग) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के प्राप्ति तथा अदायगी लेखे तथा भुगतान प्रवाह का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार (एफ आर एन 008621 सी)

ह/-सीए. शैलेश कुमार भागीदार सदस्यता सं. 077337 दिनांकः 26.09.2017 स्थानः नई दिल्ली

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली

(भारत की संसद द्वारा पारित वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित) (लाभेतर संगठन—सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च, 2017 को तुलन-पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र / पूंजीगत निधि तथा देयताएँ			
भारत सरकार से पूंजीगत अंशदान	1	150000.00	150000.00
चिंहित निधि	2	422161958.00	356730757.00
चालू देयताएँ	3	131584459.00	96993237.00
अधिशेष / घाटा लेखा	7	82598613.34	11496329.68
<u>क</u> ुल		63,64,95,030.34	46,53,70,323.68
परिसंपित्तियाँ			
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4	8270326.00	7741914.00
निवेश	5	347157038.00	197480893.00
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	6	281067666.34	260147516.68
<u>क</u> ुल		63,64,95,030.34	46,53,70,323.68

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ 14

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार, कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार एफ आर एन 008621 सी

ह/-(रजिस्ट्रार) स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 26.09.2017 ह / – (प्रेसीडेंट) ह/– (शैलेश कुमार) सदस्यता सं. 077337

वास्तुकला परिषद : नई दिल्ली

(भारत की संसद द्वारा पारित वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित) (लाभेतर संगठन—सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

#### 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
<u>आय</u>			
फीस	8	29758239.00	27942099.00
अन्य आय	9	96225739.	63360548.29
		87	
अर्जित ब्याज	10	22713800.00	19451325.00
कुल (क)		14,86,97,778.87	11,07,53,972.29
व्यय			
स्थापना व्यय	11	14182072.00	13785284.00
प्रशासनिक व्यय	12	17528301.21	23652950.04
शिक्षा व अभ्यास के उन्नय संबंधी व्यय	13	977372.00	1722261.00
मूल्यहास	4	2122141.00	1713861.70
कुल (ख)		3,48,09,886.21	4,08,74,356.34
व्यय से अधिक आय का शेष (क—ख)		113887892.66	69879615.95
अधिशेष तथा घाटा लेखा में अंतरित		113887892.66	69879615.95
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार, कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार

एफ आर एन 008621सी

ह/— (रजिस्ट्रार) स्थान : नई दिल्ली

ह / – (प्रेसीडेंट) ह/— (शैलेश कुमार) सदस्यता सं. 077337

दिनांक : 26.09.2017

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली

(भारत की संसद द्वारा पारित वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित) (लाभेतर संगठन—सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

(राशि रुपए में)

	प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	गतवर्ष		अदायगियाँ	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	रोकड जमा			1.	व्यय		
क)	नकदी शेष	28,506.00	82,380.00	क)	स्थापना व्यय (अनुसूची 11 के अनुसार)	1,41,82,072.00	1,37,85,284.00
ख)	बैंक शेष			ख)	प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 12 के अनुसार)	1,75,28,301.21	2,36,52,950.04
	1. चालू खाते में	1,34,983.01	3,22904.67		शिक्षा व अभ्यास के उन्नय संबंधी व्यय	9,77,372.00	17,22,261.00
	2. बचत खाते में	85,21,144.26	85,15,311.25	ग)	(अनुसूची 13 के अनुरूप)		
	3. ड्राफ्ट हाथ में	4,19,330.00	5,70,960.00				
2.	प्राप्त निधियाँ			2.	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से		
					की गई अदायगियाँ		
क)	मूल्यांकन फीस	3,41,50,000.00	3,51,00,000.00	क)	नाटा व्यय	3,70,28,583.00	2,69,89,738.00

ख)	निर्णय की समीक्षा का	39,50,000.00	22,00,000.	ख)	मुल्यांकन एवं निरीक्षण व्यय	2,50,04,682.00	2,12,90,982.00
	शुल्क		00	,			
ग)	संस्थानों से दण्ड / जुर्माना	73,90,000.00	29,33025.00	ग)	मध्यस्थता व्यय	0.00	26,999.00
घ) ड)	माध्यस्थता फीस संस्थान के	39,000.00 8,00,000.00	64000.000.00	ਬ)	वास्तुविद व्ययों की डायरेक्टरी	0.00 22,77,346.00	7,29,589.00
6)	नाम / स्थान के	8,00,000.00		ਫ)	प्रकाशन व्यय	28,01,288.97	
	बदलाव के लिए प्रभार			च)	थैसिस अवॉर्ड कार्यक्रम व्यय		
3.	प्राप्त ब्याज			3.	निवेश और जमा की गई राशियाँ		
क)	बैंक जमा पर	1,77,60,281.00	1,68,35,778.00	क)	उद्दिष्ट / अक्षय निधियों से	22,71,76,145.00	11,74,80,893.00
ख)	ऋण, पेशगियाँ आदि	15,86,366.00	20,82,599.00				
ग)	बचत बैंक खाते पर	7,99,099.00	3,83,880.00	4.	स्थायी परिसंपत्तियों तथा पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
ਬ)	आयकर विभाग से	25,68,054.00	149068.00	क)	स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	26,50,553.00	30,43,654.00
ভ)	मूल्यांकन वर्ष 1995—96 एंव						
0)	1996—97 के लिए						
	टीडीएम रीफंड पर						
4.	फीस से आय						
<u>क)</u>	पंजीकरण फीस	47,13,600.00	44,78,400.00	5.	अन्य अदायगियाँ		
ख) #\	वार्षिक नवीकरण फीस	39,11,840.00	31,85,100.00	क) ख)	बैंक / कंपनियों द्वारा काटा गया टीडीएस स्टाफ को पेशगियाँ	19,06,091.00 1,26,000.00	18,85,016.00
ग) घ)	पुनःस्थापन फीस अनुलिपि प्रमाण–पत्र	22,95,000.00 2,90,400.00	20,65,000.00	ख) ग)	स्टाफ का पशागया अन्य पेशगियाँ	61,40,979.00	0.00 65,70,520.00
۹)	फीस	2,30,400.00	2,03,200.00	11)	ज व नसामवा	01,40,575.00	03,70,320.00
ड. )	वास्तुविदों से जुर्माना	1,22,70,200.00	1,23,25,100.00	ਬ)	लेखागत आंशिक फीस	12,99,155.00	10,310.00
ਬ)	एक बारगी नवीकरण	62,76,799.00	55,99,099.00	ड.	एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	62,76,799.00	55,99,099.00
/	फीस का प्रभाजन	400.00		)		4 50 00 750 00	07.500.00
छ)	अतिरिक्त अर्हता फीस	400.00	200.00	च)	नाटा फीस पेशगियाँ	1,58,23,750.00	37,500.00
5.	अन्य आय			छ)	मूल्यांकन फीस पेशगियाँ	3,41,50,000.00	3,45,50,000.00
क)	प्रकाशनों से आय	35,42,778.00	13,64,980.00	ज)	प्राप्ति योग्य राशि	0.00	1050.00
ख)	आर टी आई फीस	680.00	730.00	झ)	वर्ष के लिए बैंक ब्याज	47,82,932.00	32,75,991.00
ग)	नाटा फीस	10,74,92,007.84	6,99,12,500.00	স)	स्टाफ पेशगियाँ से ब्याज लाभ	15,93,443.00	20,94,620.00
ਬ)	विविध आय	13,06463.00	8,237.00	ਟ)	नाटा परीक्षा के लिए पूर्वदाता व्यय	21,02,669.00	26,04,330.00
ड. )	पैकिंग एंव फोरवार्डिंग	0.00	84,795.00	ਰ)	कार्यालय स्थल के लिए एनबीसीसी को पेशगियाँ	0.00	5,52,62,075.00
				ड)	ओडी शेष पुनर्भुगतान	3,97,11,058.00	4,05,12502.00
6.	अन्य प्राप्तियाँ			ਫ)	सेवाकर मांग / पेंशगियाँ	17,36,095.00	0.00
क)		2,71,08,000.00	2,27,28,000.00	ण)	मुल्यांकन वर्ष 2014—15 के लिए आयकर मांग	43,82,445.00	0.00
	फीस				के लिए आयकर रीफंड		
ख)	वर्ष के दौरान परिपक्व एफडीआर	7,75,00,000.00	11,87,00,000.00	6.	रोकड़ जमा		
ग)	स्टाफ से वसूल की गई पेशगियाँ	22,61,276.00	22,19,668.00	क)	नकदी शेष	131,517.00	28,506.00
ਬ)	वसूल की गई अन्य पेशगियाँ	42,47,530.00	29,72,897.00				
ਫ.	मूल्यांकन वर्ष	18,14,391.00	12,85,682.00	ख)	बैंक शेष		
)	1995—96 एਂड						
	1996—97 के लिए प्राप्त टीडीएस रीफंड						
च)	ब्याज समायोजन से	62,71,383.00	13,10,928.00		1)चालू खाते में	2,52,636.77	34,983.01
ਲ)	अर्जित ब्याज कर / राशि / पोस्टेज	2,57,959.00	0.00		2)बचत खाते में	2,38,52582.42	85,21,144.26
,	देय				,		
জ)	नाटा फीस पेशगी	5,31,26,500.00	15823,750.00		3) उपलब्ध ड्राफ्ट	15,32,414.00	4,19,330.00
झ)	विज्ञापन दाताओं से प्राप्त राशि	0.00	24,85,155.00			2,73,772.00	0.00
স)	मूल्यांकन फीस पेशगियाँ	7,82,00,000.00	3,41,50,000.00				
ਟ)	थैसिस अवॉर्ड कार्यक्रम	46,66,711.00	0.00				
	कुल	47,57,00,681.37	37,02,29,327.21		कुल	47,57,00,681.37	37,02,29,327.21

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार कृते, **शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स** सनदी लेखाकार (एफ आर एन 008621सी)

स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 26.09.2017

ह / – (रजिस्ट्रार) ह ∕ − (प्रेसीडेंट) ह/-(शैलेश कुमार) एफ–077337

# COUNCIL OF ARCHITECTURE (A STATUTORY AUTHORITY OF GOVT OF INDIA) NOTIFICATION

New Delhi, the 20<sup>th</sup> September, 2017

#### ANNUAL REPORT 2016 -2017

#### Ref. No.CA/28/2017/A.R.—The following is published for general information.

The Council of Architecture, constituted under the Architects Act, 1972 under Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ending on 31.03.2017.

#### **Organisational Structure:**

The President, Council of Architecture is head of the organization under whose overall charge the Council functions. Shri Biswaranjan Nayak is presently President of the Council.

#### **Statutory and Other Committees:**

In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder, the Council constituted the statutory, committees, namely, the Executive Committee, which functions as an Executive Authority of the Council, Disciplinary Committee, which investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects, Advisory Committee (Appeals), which hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected. Apart from these several other committees are constituted from time to time for particular / special purposes.

The Council constituted a Sub-Committee to examine the references received from Central Government for recognition of Foreign qualifications.

The Executive Committee also constituted Scrutiny Committee to scrutinize the proposals/ applications received from new institutions for introduction B.Arch.,/ M.Arch.Course(s) and from existing institutions for extension of approval / additional intake.

#### **Meetings:**

- **a. Council:** During the period under report the Council had its two meetings, namely, 66<sup>th</sup> meeting on 25<sup>th</sup> August, 2016 and 67<sup>th</sup> meeting on 11<sup>th</sup> March, 2017.
  - b. Executive Committee: During the year 2016-2017, the Executive Committee had 15 meetings i.e. 156<sup>th</sup> meeting on 23<sup>rd</sup> and 24<sup>th</sup> April, 2016, 157<sup>th</sup> Meeting on 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> May, 2016, 158<sup>th</sup> meeting on 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> June, 2016, 159<sup>th</sup> Meeting on 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> June, 2016, 160<sup>th</sup> meeting on 7<sup>th</sup> and 8<sup>th</sup> July, 2016, 161<sup>st</sup> Meeting on 25<sup>th</sup> July, 2016, 162<sup>nd</sup> meeting on 6<sup>th</sup> August, 2016, 163<sup>rd</sup> meeting on 24<sup>th</sup> August, 2016, 164<sup>th</sup> meeting on 17<sup>th</sup> September, 2016, 165<sup>th</sup> meeting on 16<sup>th</sup> October, 2016, 166<sup>th</sup> Meeting on 5<sup>th</sup> November, 2016, 167<sup>th</sup> meeting on 10<sup>th</sup> December, 2016, 168<sup>th</sup> Meeting on 14<sup>th</sup> January, 2017, 169<sup>th</sup> meeting on 18<sup>th</sup> February, 2017 and 170<sup>th</sup> Meeting on 10<sup>th</sup> March, 2017.

The various decisions and actions taken by the Council during the year under report are summarized as under:

## 1.0 RESTORATION OF NAMES TO THE REGISTER OF ARCHITECTS MAINTAINED BY THE COUNCIL UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972:

The Council at its 66<sup>th</sup> Meeting restored names of 1642 Defaulting Architects, whose names were restored to the Register of Architects on receipt of requisite fees, during the period 01.01.2016 to 31.07.2016.

The Council at its 67<sup>th</sup> meeting restored names of 780 Defaulting Architects, whose names were restored to the Register of Architects on the receipt of requisite fee, during the period 01.08.2016 to 31.01.2017.

### 2.0 REMOVAL OF NAMES FROM THE REGISTER OF ARCHITECTS DUE TO EITHER REQUEST OR DEATH:

The Council at its 66<sup>th</sup> Meeting removed the names of following Architects from the Register of Architects at their request as provided under Section 29(1) (a) of the Architects Act, 1972:

1. Shri Ramakant Waman Patil 11. Shri Vikas Krishnaji Joshi 2. Ms. Rakhi Nityanand Dasgupta 12. Ms. Raminder Bhatia 3. Shri Srikanth Adigopula 13. Ms. Aruna Sri Reddi 4. Shri Gopal Waman Athavale 14. Ms. Anchal Jain 5. Ms. Vandana Mittal 15. Mohd. Hammad 6. Ms. Anu Jacob 16. Ms. Dhivyaa T. 7. Ms. Nikita Gyanchandani 17. Shri N.S. Bhoj 8. Shri Vinayak Haridas 18. Ms. R. K.Jhaveri 9. Ms. Dolly Chauhan 19. Shri V. T. Kota 10. Shri Sharad Ganpatrao Chavan 20. Shri Jayant Rathee

The Council at its 66<sup>th</sup> meeting removed the names of following architects from the Register of Architects upon their death as provided under section 29(1) (b) of the Architects Act, 1972:

- 1) Shri Salil Arvind Khare, CA/96/19848, Thane;
- 2) Shri D.M. Batliwala, CA/75/589, Mumbai;
- 3) Shri Radha Krishan Nangia, CA/1980/5818, Delhi;
- 4) Mrs. Saroj Joshi, CA/1975/00353, Delhi;
- 5) Shri Utty Zachariah, CA/1975/1011, Bangalore;
- 6) Shri B.L. Chadha, CA/1975/1869, Delhi;
- 7) Shri Suresh Chandragupta, CA/1977/3742, Delhi;
- 8) Shri Hareshwar Mukund Pathare, CA/1978/4642, Mumbai;
- 9) Shri G. D. Shah, CA/1978/4819, Ahmedabad, and
- 10) Shri Anil Laul, CA/1975/1807, Faridabad.

The Council at its 67<sup>th</sup> meeting removed the names of following Architects from the Register of Architects on their request as provided under section 29(1) (a) of the Architects Act, 1972:

1.	Ms. Neha Goel	CA/2010/50957	USA
2.	Mr. Pravin Kumar V.Tipnis	CA/81/6127	Nashik
3.	Mr. Pandurang V. Deshpande	CA/97/21429	Bhopal
4.	Ms. Snehlata V. Kulkarni	CA/75/1087	Mumbai
5.	Mr. Harbhajan Singh	CA/75/2061	New Delhi

The Council at its 67<sup>th</sup> meeting removed the names of following architects from the Register of Architects upon their death as provided under Section 29 (1) (b) of the Architects Act, 1972:

- 1. Shri J. R. Bhalla, CA/75/ 1150, New Delhi;
- 2. Shri Varuneshwar Sen, CA/82/6869, Jaipur; and
- 3. Mrs. Rose Mary Sachdev, CA/75/1382, Delhi.

#### 3.0 ELECTION OF THE OFFICE BEARERS OF THE COUNCIL:

The Returning Officer appointed by the Central Government conducted the elections for the office of the President, Vice-President and 5 members of the Executive Committee. Shri Biswaranjan Nayak has been elected as President and Shri Vijay Garg as Vice-President, for a period of three years w.e.f. 23.5.2016. Further,

Ms. Ranee Vedamuthu, Shri Alok Ranjan, Shri Amitava Roy, Shri Abhay V. Purohit and Shri Amogh Kumar Gupta were elected as members of the Executive Committee.

#### 4.0 MEETINGS OF THE DISCIPLINARY COMMITTEE:

During the year under report no meeting/ hearing of the Disciplinary Committee could be held due to constant change in its membership. The Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, was requested to expedite the re-constitution of Disciplinary Committee.

The Committee at its 66<sup>th</sup> meeting elected Shri N. K. Negi as member of the Disciplinary Committee in place of Shri R. Radhakrishnan.

#### 5.0 REGISTRATION OF ARCHITECTS:

The Council registers a person, as an architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of architecture in India and holds a recognized architectural qualification. The applications for registration and fees are accepted online.

During the year (1<sup>st</sup> April, 2016 to 31<sup>st</sup> March, 2017), the Council has registered 7404 persons as architects and with this as on 31<sup>st</sup> March, 2017, a total of 82053 persons have been registered as architects with Council of Architecture. On 31<sup>st</sup> March, 2017, 66279 persons held valid registration as Architects with the Council of Architecture.

#### 6.0 COMPLAINTS FOR PROFESSIONAL MISCONDUCT AGAINST ARCHITECTS:

Each and every architect is required to observe and abide by the provisions of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, as amended in 2003. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of being heard to the Architect.

The Council at its 66<sup>th</sup> Meeting considered 17 complaints of alleged professional misconduct against Architects. The Council dismissed 6 complaints as no prima facie case against the concerned architects was found. The Council referred 3 complaints to Disciplinary Committee for investigation. 2 Complaints were kept in abeyance as these matters were sub-judice and one complaint was referred to one Council member for examination in detail.

The Council at its 67<sup>th</sup> meeting considered 15 complaints of alleged professional misconduct against architects. The Council dismissed 8 complaints were dismissed as no prima facie case was found against respondent architects. 1 Complaint was kept in abeyance as matter was sub-judice, 4 complaints could not be considered as the preliminary reports were not received from Council members. In 1 case the Council decided to seek legal opinion and 1 complaint was dismissed on the ground of as non-maintainability.

#### 7.0 SUPPLY OF INFORMATION UNDER RTI ACT, 2005:

During the period under report, the Council received 81 RTI Applications, 2 First Appeals were disposed. Further, 5 Second Appeals filed against PIO, COA were also disposed of by Central Information Commission.

#### 8.0 INTRODUCTION OF "ARCHITECTURE" SUBJECT AT 10+2 LEVEL.

The Council constituted a Committee comprising of Ar. Punit Sethi, Dr. Vibhuti Sachdev, Ar. Gita Balakrishnan, Ar. Ameet Babbar, Ar. S.B.Acharya and Shri Surajit Chatterjee to prepare draft syllabus of Architecture subject at 10+2 level. As Architecture is a professional course and presently taught at undergraduate and Higher level, there is an urgent need for introduction of Architecture subject at 10+2 level in all Schools affiliated with CBSE and other State Boards so that students desirous of entering into profession of architecture are introduced with subject of architecture and their acumen and aptitude is build for this profession.

After preparation of Model syllabus the Council vide its letter dated 29.09.2016, requested the Secretary, Department of School Education & Literacy, for inclusion of Architecture as an elective subject at 10+2 level, by CBSE and other State Boards.

The Ministry has referred the Council's proposal to National Council for Educational Research and Training (NCERT) for their comments/ recommendations. The NCERT vide their letter dated 06.01.2017 has recommended that overall the syllabus is very excellent and will be very useful to the students for their higher studies. The Council has requested that MHRD to issue appropriate directions for introduction "Architecture" subject at 10+2 level. The directions of the Ministry in the matter are awaited.

#### 9.0 REVISION OF DIFFERENT FEES CHARGED FROM INSTITUTIONS:

The Council at its 67<sup>th</sup> meeting ratified the various fees to be charged from architectural institutions as under:

a. Introduction of New course B.Arch./ M.Arch. : Rs. 5.00 Lakhs
b. Extension of Approval, per course : Rs. 1.00 Lakh
c. Additional intake per 40 seats : Rs. 2.00 Lakhs
d. Change in name / site of Institution : Rs. 2.00 Lakhs
e. Closure of Institution : Rs. 5.00 Lakhs
f. Review Charges : Rs. 0.50 Lakhs

The Council decided that the above charges would be applicable for the academic year 2017-2018 and for the academic session 2018-2019 these charges may be reconsidered.

#### 10.0 APPROVAL OF NEW INSTITUTIONS IN THE ACADEMIC SESSION 2016 – 2017:

During the year under report 33 new institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses and 5 existing institutions were granted approval for PG Courses.

With this, the total number of institutions imparting recognized courses in architecture with the approval of Council has risen to 458 in 2016-2017. The annual intake of students at Undergraduate level is 25437(approx.), Postgraduate level is 1560 and at Ph.D. is 20.

#### 11.0 EXTENSION OF APPROVAL FOR THE ACADEMIC SESSION 2016-2017 ONWARDS:

The Council granted extension of approval or otherwise for UG & PG Courses for the academic session 2016-2017 as under:

- i) Institutions granted extension of approval for B.Arch. Course for 2016-2017 onwards with existing or higher intake: 323.
- ii) Institutions granted extension of approval for M.Arch. Course for 2016-2016 onwards with existing or higher intake: 31
- iii) Institutions put on 'No Admission' for 2016-2017: 07
- iv) Institutions put on 'Withdrawal of approval' for 2016-2017: 01

The Council has also initiated the process of inspection for the academic session 2017-2018 of institutions, which are due for inspections.

#### 12.0 ELIGIBILITY FOR ADMISSION TO B.ARCH. COURSE:

The Ministry of HRD, Govt. of India vide letter no.F.No.4-65/2016-TS.VI dated 19.01.2017 has approved the eligibility for admission to B.Arch. Course as under:

"No candidate shall be admitted to architecture course unless she/ he has passed an examination at the end of the 10+2 scheme of examination with 50% marks in Physics, Chemistry and Mathematics and also 50% marks in aggregate of the 10+2 level examination".

The COA Minimum Standards of Architectural Education Regulations, 1983 have been amended accordingly and a notification would soon be published in the Gazette of India.

#### 13.0 ESTABLISHMENT OF COUNCIL OF ARCHITECTURE TRAINING AND RESEARCH CENTRES

The Council at its 66<sup>th</sup> Meeting decided to establish Research and Training Centres at Pune, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar and Delhi to provide training to the faculty members of architectural institutions and practicing Architects and also to conduct training certification and online examination programme in Energy Conservation Building Code (ECBC) of BEE, which is mandatory for buildings of certain specified magnitude. Ms. Jayashree Deshpande, Director, is managing the affairs TRC Pune and Ms. Ipsita Das, Research Associate has been made In-charge of TRC Bhubaneswer.

### 14.0 RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972, BY THE CENTRAL GOVERNMENT:

The Council has received references from the Central Government for recognition of Architectural Degree awarded by foreign Universities.

A Sub-Committee consisting of Shri Kiran Mahajani, Convenor, Shri Rajiv Mishra, Member, Shri J. Manoharan, Member, and Shri Chandan Parab, Member, for considering requests of Recognition of Foreign Qualifications has been constituted by the Council to examine and consider all cases relating to recognition of foreign qualifications.

The Committee met on 25<sup>th</sup> July, 2016 and 17<sup>th</sup> December, 2016 to examine the reference received for recognition of foreign qualifications. The Committee examined 16 references and made its report/recommendations to the Council.

#### 15.0 COMPREHENSIVE AMENDMENTS TO THE ARCHITECTS ACT, 1972

The Council submitted a proposal for comprehensive amendments in the Architects Act, 1972 to the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India. The Ministry had constituted a Committee under the Chairmanship of Shri J. R. Bhalla, Architect, Past-President, Council of Architecture for finalizing the same. The Committee had submitted its report to the Central Government.

The Ministry vide letter No.4-52/2013-TS.VI dated 04.07.2017 requested the Council to submit a revised proposal on the lines of recommendations of Bhalla Committee report.

The President, COA, has constituted a Committee under the Convenorship of Shri Bimal Patel, Member, COA to study the matter in detail and submit their recommendations in the matter.

#### 16.0 TRAINING PROGRAMME FOR ARCHITECTS:

COA-TRC has conducted 24 training programmes for teachers and professional architects in Pune and other cities during the last year. These programmes were attended by 570 participants across the country.

The details of the programme are as follows:

#### 1. Teacher Training Programme:

Sr. No	Name of Programme	Name of Coordinator	Dates	No. of Part.
1.	Regional Faculty Induction Programme at Amity School of Architecture and Planning, Amity University West Bengal, Kolkata	Prof. Jayashree Deshpande	18 <sup>th</sup> April - 22 <sup>th</sup> April, 2016	13
2.	Regional Faculty Induction Programme at Tulsiramji Gaikwad-Patil College of Architecture, Nagpur	Prof. Jayashree Deshpande	25 <sup>th</sup> April - 29 <sup>th</sup> April, 2016	16
3.	Regional Faculty Induction Programme at Dr. D.Y.Patil College of Architecture, Nerul, Navi	Prof. Akhtar Chauhan	24 <sup>th</sup> May - 28 <sup>th</sup> May 2016	31

	Mumbai,			
4.	Sustainability Sensitizing Workshop at COATRC, Pune	Ms. Sangita Kapoor	08 <sup>th</sup> June - 10 <sup>th</sup> June, 2016	22
5.	Faculty Induction Programme at COA-TRC Pune	Prof. Jayashree Deshpande	20 <sup>th</sup> June - 30 <sup>th</sup> June, 2016	20
6.	COA in association with INTACH ttp - Understanding a Methodology for Identification, Demarcation & Documentation of Heritage Zones at Sathyabama University, Chennai	Shri Navin Piplani	11 <sup>th</sup> July - 15 <sup>th</sup> July, 2016	23
7.	Handling Dissertation & Architectural Project (thesis) at UG level in Architecture at COA-TRC Pune	Prof. Priyamvada Chitale	18 <sup>th</sup> July - 22 <sup>nd</sup> July, 2016	22
8.	Regional Faculty Induction Programme at Mohamed Sathak A.J. Academy of Architecture, Chennai	Prof. Jayashree Deshpande	19 <sup>th</sup> September - 23 <sup>rd</sup> September 2016	23
9.	Regional Faculty Induction Programme at Royal School of Architecture, Guwahati	Prof. Jayashree Deshpande	03 <sup>rd</sup> October - 07 <sup>th</sup> October, 2016	19
10.	Regional Faculty Induction Programme at Sushant School of Art and Architecture, Ansal University, Gurgaon.	Prof. Jayashree Deshpande	17 <sup>th</sup> October - 21 <sup>st</sup> October, 2016	43
11.	Regional Faculty Induction Programme at School of Architecture, VIT University, Vellore	Prof. Jayashree Deshpande	21 <sup>st</sup> November – 25 <sup>th</sup> November, 2016	20
12.	Integration of Allied Subjects in Architectural Education at Bharati Vidyapeeth's College of Architecture, Navi Mumbai	Prof. Ritu Deshmukh	28 <sup>th</sup> November – 02 <sup>nd</sup> December, 2016	34
13.	Architectural Design: Attitudes and Approaches at SMAID, New Vallabh Vidyanagar	Prof. Preety Shah	05 <sup>th</sup> December – 09 <sup>th</sup> December, 2016	19
14.	Research in Architecture: From Dissertation to Doctoral Studies at Kalasalingam School of Architecture, Krishnankoil	Dr. N. Lakshmi Thilagam	13 <sup>th</sup> December -17 <sup>th</sup> December, 2016	23
15.	From Literary Phrases to Architectural Spaces The Design-Theory Workshop at COA-TRC, Pune	Prof. Fatema Kabir	19 <sup>th</sup> December – 23 <sup>rd</sup> December, 2016	22
16.	Research in Architecture at Smt.Manoramabai Mundle, College of Architecture, Nagpur	Dr. Ujwala Chakradeo	16 <sup>th</sup> January – 20 <sup>th</sup> January, 2017	25
17.	Computing in Architectural Education, Practice and Research at McGan's Ooty School of Architecture, Kotagiri	Prof. Sabu Francis	23 <sup>rd</sup> January – 27 <sup>th</sup> January, 2017	14
18.	Faculty Induction and Training Programme - SUSTEACHABILITY at Amity School of Architecture & Planning, Dubai Campus	Prof. Jayashree Deshpande	06 <sup>th</sup> February – 10 <sup>th</sup> February, 2017	13
19.	Advanced Building Services for Architects at Dayananda Sagar School of Architecture, Bangalore	Prof. Rama Subramanian	13 <sup>th</sup> February – 17 <sup>th</sup> February, 2017	25
20.	Design and Research Methodology in Architecture at School of Architecture, Delhi Technical Campus, Greater Noida	Prof. Divya Gupta	20 <sup>th</sup> February -24 <sup>th</sup> February, 2017	34
21.	Teaching and Learning Process in Architectural Education at Vaishnavi School of Architecture and Planning Vijayawada	Prof. N. Ramaswamy Iyer	27 <sup>th</sup> February - 03 <sup>rd</sup> March, 2017	16
22.	CONSTRUCTURE: Exploring the symbiosis between material, structure and Design in Architecture at School of Architecture	Prof. Sagar T.S.	06 <sup>th</sup> March – 10 <sup>th</sup> March, 2017	29

	Siddaganga Institute of Technology Campus, Tumkur			
23.	Research and Technical Paper Writing in	Prof. Kalpana	14 <sup>th</sup> March - 18 <sup>th</sup>	33
	Architecture at Sri Venkateswara College of	Manchali	March, 2017	
	Architecture, Madhapur			
24.	Basic Building Science and Simulations for	Dr. Sheeba Valsson	20 <sup>th</sup> March – 24 <sup>th</sup>	31
	Sustainable Buildings at Shri Datta Meghe		March, 2017	
	College of Architecture, Nagpur			
			Total participants	570

#### **National Awards for Excellence in Architectural Thesis**

During the year under report the Council held the following UG and PG Architectural Thesis Awards programme:

#### **►** Undergraduate:

The Council conducted the 11<sup>th</sup> National Awards for Excellence in Architectural Thesis Program for undergraduate thesis projects to encourage the young talent. The zonal juries were held at the following places.

Zone	Place	Coordinating College
I	Ahmedabad	Institute of Architecture & Planning, Nirma University, Ahmedabad
П	Howrah	Department of Architecture, Town and Regional Planning, Indian Institute of Engineering Science and Technology Shibpur, Howrah
III	Pune	Marathwada Mitra Mandal's College of Architecture, Pune
IV	Chennai	CAAD-Chennai Academy of Architecture and Design, Chennai
V	Kollam	School of Architecture TKM College of Engineering, Kollam

The members of Jury for Zones were:

1.	Zone I	Ar. Abhijit Shirodkar, Ar. Aravindan Rangan, Ar. B. S. Bhooshan
2.	Zone II	Ar. Balbir Verma, Ar. Padma Shri Gopalan Nair Shankar, Ar. Shalini Dasgupta.
3.	Zone III	Ar. Gopal Swarup, Ar. Mona Doctor, Ar. Sandeep Sen
4.	Zone IV	Ar. Anindya Basu, Ar. Partha Ranjan Das, Ar. Rupa Raje Gupta
5.	Zone V	Ar. Bandana Jain, Ar. Neeraj Saunik, Ar. Sharddha Sejpal

The National Jury was held at School of Architecture & Planning Sharda University, Greater Noida. The members of Jury for National finals were Ar. D.D. Roy, Ar. Sabeena Khanna and Ar. S.S. Ray.

#### **Post Graduate:**

The Council conducted the 3<sup>rd</sup> National Awards for Excellence in Post Graduate Thesis in Architecture Program for postgraduate thesis projects with an objective to encourage and motivate students of masters' courses in architecture from across the country and develop a research culture amongst schools of architecture.

The National Jury was held at School of Architecture & Planning Sharda University, Greater Noida. The members of Jury for National finals were Ar. AGK Menon, Ar. Ujan Ghosh and Ar. Yatin Pandya.

The awards distribution ceremony of Undergraduate and Postgraduate programmes was held on 16<sup>th</sup> September, 2016 at Chinamaya Mission, New Delhi. Hon'ble Railway Minister Shri Suresh Prabhu was Chief Guest. Shri Satyender Jain, Hon'ble PWD and Health Minister, Govt. of Delhi was Guest of Honour.

### 17.0 ISSUANCE OF ENROLMENT NUMBERS TO STUDENTS ADMITTED BY ARCHITECTURAL INSTITUTIONS IN B.ARCH. COURSE:

The Council is issuing enrolment numbers to students admitted by the Institution to ensure that the students have eligibility prescribed by the Council and also admitted within the intake sanctioned by the Council. The Council is issuing enrolment online based on the information furnished by the institutions.

#### 18.0 NATIONAL APTITUDE TEST IN ARCHITECTURE

National Aptitude Test in Architecture was conducted for the prospective candidates looking forward to take up Architecture as career.

The Status of the NATA Examination of 2016 is as follows:

- Total Number of Appointments/ Test conducted 83416/74938, respectively.
- Total candidates passed 30783.
- Total Candidates Passed (Attempt Specific) 56394.
- Highest Score (Attempt Specific) 168.

For the academic session 2017-2018, it was decided to conduct the Aptitude Test on single day on Sunday,16<sup>th</sup> April, 2017.

#### 19.0 SELECTION OF ARCHITECTS BY GOVT. DEPARTMENTS/ UNDERTAKINGS:

The Council wrote to several public authorities to appoint architects as per Architectural Competition Guidelines and not to appoint through tender or bid process on payment of lowest fee. The Council has requested different Government Departments to appoint Architects by conducting Architectural Design Competitions.

The Council has also requested the Department of Expenditure, Ministry of Finance to revise its Manual on Appointment of Consultants in line with provisions of the Architects Act, 1972 and Regulations framed thereunder since the manual is being following by all Govt. Departments for selection/ appointment of Architects.

The Council has also sought intervention of Hon'ble Controller and Auditor General of India on various issues affecting architectural profession. The President, COA, also had a meeting with CAG in the matter. The Council also wrote to the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Govt. of India, suggesting changes in the Manual of Procedure for Appointment of Consultant Architects.

### 20.0 ENFORCEMENT OF THE ARCHITECTS ACT, 1972, RULES AND REGULATIONS FRAMED THEREUNDER:

Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972, impose prohibition on misrepresentation as an architect as well as misuse of title and style of architect and violation of the prohibition is a punishable offence. Upon receipt of the complaints of misuse of title and style of architect, the Council filed complaints u/s 39 before the First Class Magistrate for taking cognizance of the offences.

The Council is pursuing such criminal complaints filed before the Metropolitan Magistrate in New Delhi, against persons who have violated the provisions of the Architects Act, 1972 and misrepresented or misused the title and style of architect. Presently about 16 complaints are pending for adjudication before the Court.

#### 21.0 PUBLICATIONS:

The Council is printing and publishing its magazine Architecture "Time Space and People", with assistance of Lifestyle Media, New Delhi.

The following book is in printing process and published shortly:

• Archiving Architectural Thesis 2012

The following book is ready and is expected to be printed and published shortly:

Archiving Architectural Thesis 2015

The following refereed journal is ready and waiting for printing order.

• Journal of Council of Architecture (JCOA) – Housing

Work on the peer review of the following journal is in progress:

- Journal of Council of Architecture (JCOA) Sustainable Development
- Journal of Council of Architecture (JCOA) Heritage and Conservation

#### 22.0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Council is functioning with skeleton staff strength and carrying out its statutory functions efficiently on all India level from out of its own resources. The Council would like to place on record its appreciation and gratitude to the Central Government and its officers, all State Governments and all Schools of Architecture, for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972. The Council also expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council of Architecture, Experts, Auditor, Advocates, other professional bodies, practising architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to its Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2016-2017.

R. K. OBEROI, Registrar [ADVT.-III/4/Exty./434/17(97)]

New Delhi

Dated: 20.09.2017

SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

J-189 Basement, Nr. J. Block Market Saket, New Delhi – 110 017, India

Phone: +91-11-41555445

Mobile: +91-9810570480, 9811488209

#### AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE", India Habitat Centre, Core 6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi – 110003, as at 31st March, 2017, the Income & Expenditure Account and the Receipts & Payment Account for the year ended on 31st March, 2017, incorporating the accounts of all the Council Offices. These financial statements are the responsibility of the management of the Council. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted the audit in accordance with the generally accepted Auditing & Accounting Standards, notified till date, issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls given to the preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient & appropriate to provide a basis for our audit opinion subject to note no. 2 to 22 of Annexure No. 14 – Significant Accounting Policies & Notes forming part of Accounts.

#### We further report that:

- 1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;
- 2. In our opinion, proper books of accounts as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council in so far as appears from our examination of such books;
- 3. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with the report are in agreement with the books of account; and

- 4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts together with the schedules attached and read with the accounting policies and notes forming part of accounts give a true and fair view:-
- a) In the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March, 2017 and
- b) In case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure for the year ended 31st March, 2017.
- c) In case of Receipts & Payments Account of the receipts and payments flows for the year ended 31st March, 2017.

Sd/-

For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS, (FRN 008621C) CA SHAILESH KUMAR, PARTNER, M. NO. 077337

Date: 26.09.2017, Place: New Delhi



: 26.09.2017

#### **COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI**

#### **BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017**

Amount - Rs.)

M.N.077337

		Schedule	Current Year	Previous Year		
	AND LIADII ITIES					
CORPUS/CAPITAL FUNI	D AND LIABILITIES					
CAPTIAL CONTRIBU	JTION FROM GOVT.OF INDIA	1	150000.00	150000.00		
EARMARKED FUND		2	422161958.00	356730757.00		
CURRENT LIABILIT		3	131584459.00	96993237.00		
SURPLUS / DEFICIT	ACCOUNT	7	82598613.34	11496329.68		
TOTAL			636495030.34	465370323.68		
<u>ASSETS</u>						
FIXED ASSETS		4	8270326.00	7741914.00		
INVESTMENTS		5	347157038.00	197480893.00		
CURRENT ASSETS,	LOANS & ADVANCES	6	281067666.34	260147516.68		
TOTAL			636495030.34	465370323.68		
ACCOUNTING POLICIES	& NOTES TO ACCOUNTS	14				
	on behalf of	Τ.,	C	C 1.		
COUNCIL OF A	ARCHITECTURE	In terms of our separate report of even date For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES				
Sd/-	C 4/		SH AGGARWAL & Chartered Accountar			
				FRN 008621C		
(REGISTRAR) (PRESIDENT)		Sd/-				
Place : New Delhi		(	SHAILESH KUMA	R)		

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23



#### COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)

#### (NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2017

(Amount - Rs.)

Schedule	Current Year	Previous Year
8	29758239.00	27942099.00
9	96225739.87	63360548.29
10	22713800.00	19451325.00
		440
		110753972.29
11	14182072.00	13785284.00
12	17528301.21	23652950.04
13	977372.00	1722261.00
4	2122141.00	1713861.30
	34809886.21	40874356.34
	113887892.66 113887892.66	69879615.95 69879615.95
	14	
	8 9 10 11 12 13	8 29758239.00 9 96225739.87 10 22713800.00 11 14182072.00 12 17528301.21 13 977372.00 4 2122141.00 34809886.21 113887892.66 113887892.66

For and on behalf of **COUNCIL OF ARCHITECTURE** 

Sd/-

(PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date
For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES

For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATE
Chartered Accountants

FRN 008621C Sd/-

Sa/-

( SHAILESH KUMAR) M.N.077337

Place: New Delhi Date: 26.09.2017

Sd/-

(REGISTRAR)

#### COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India) (NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVT. AUTHORITY)

Amount (Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balance a) Cash In hand b) Bank Balances 1) In Current accounts 2) Savings Accounts	28,506.00 134,983.01 8,521,144.26	82,380.00 322,904.67 8,515,311.25	I. Expenses  a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 11)	14,182,072.00	13,785,284.00

<ol><li>Drafts at Hand</li></ol>	419,330.00	570,960.00	<ul> <li>b) Administrative Expenses</li> </ul>	17,528,301.21	23,652,950.04
II. Funds Received			(corresponding to Schedule 12)		
<ul> <li>a) Evaluation Fees</li> </ul>			<ul> <li>c) Expenses related to Promotion</li> </ul>	9,77,372.00	1,72, 261.00
<ul> <li>b) Charges for Review of Decision</li> </ul>	34,150,000.00	35,100,000.00	of Education & Practice		
<ul> <li>Fine/ Penalty from Intuitions</li> </ul>	3,950,000.00	2,200,000.00	corresponding to Schedule 13)		
d) Arbitration Fee	7,390,000.00	2,933,025.00			
e) Charges for Change of Name/Site	39,000.00	64,000.00	II. Payments made against funds for		
of Institution	8,00,000.00	0.00	various Projects		
				3,70,28,583.00	2,69,89,738.00
III. Interest Received			a) NATA Expenses	2,50,04,682.00	2,12,90,982.00
			b) Evaluation & Inspection Expenses	0.00	26,999.00
a) On Bank deposits	1.77.60.281.00	16,835,778.00	c) Arbitration Expenses	0.00	7,29,589.00
b) Loans, Advances etc.	15,86,366.00	2,082,599.00	e) Directory of Architect Exps.	22,77,346.00	0
c) On Savings Bank Account	7,99,099.00	383,880.00	f) Publication Expenses	28,01,288.97	0
d) From Income Tax Dept. on TDS	25,68,054.00	149,068.00	g) Thesis Award Programme	20,01,200.77	· ·
refund for A.Y.1995-96 & 1996-97	23,00,031.00	117,000.00	Expenses		
retailed for 11.11.1995 90 to 1990 97			III. Investments and deposits made	22,71,76,145.0	11,74,80,893.00
IV. Fee Income			a) Out of Earmarked/Endowment fur		11,74,00,093.00
1v. ree income			a) Out of Earmarked/Endowment fur	U	
a) Registration Fee	47,13,600.00	44,78,400.00	IV. Expenditure on Fixed Assets &		
b) Annual Renewal Fee	39,11,840.00	31,85,100.00	Capital Work-in-Progress		30,43,654.00
c) Restoration Fee	22.95.000.00	20,65,000.00	a) Purchase of Fixed Assets	26,50,553.00	30,43,034.00
-,	, ,		a) Fulchase of Fixed Assets	20,30,333.00	
d) Duplicate Certificate Fee	2,90,400.00	2,89,200.00	W Od B		
e) Fine from Architects	1,22,70,200.00	1,23,25,100.00	V. Other Payments		1 07 016 00
f) Apportionment of One Time	62,76,799.00	55,99,099.00	a) TDS deducted by the	10.06.001.00	1,,85,016.00
Renewal Fees	100.00	200.00	Bank/Companies	19,06,091.00	0.00
g) Additional Qualification Fee	400.00	200.00	b) Advances to Staff		0.00
V. Other Income			c) Other Advances	1,26,000.00	65,70,520.90
a) Income from Publications			d) Part Fees on Account	61,40,979.00	10,310.00
b) RTI Fees	35,42,778.00	13,64,980.00	e) Apportionment of One Time Renew		55,99,099.00
c) NATA Fees	680.00	730.00	Fees	62,76,799.00	
d) Misc. Income	10,74,92,007.84	6,99,12,500.00	f) NATA Fee Advance		37,500.00
<ul> <li>e) Packing and forwarding</li> </ul>	13,06,463.00	8,237.29	g) Evaluation Fees Advance	1,58,23,750.00	3,45,50,000.00
VI. Other Receipts	0.00	84,795.00	h) Amount receivable	3,41,50,000.00	
			<ol> <li>Bank Interest Accrued for the</li> </ol>		1,050.00
<ul> <li>a) One Time Renewal Fee</li> </ul>			Year	0.00	32,75,991.00
<li>b) FDR's Matured during the Year</li>			<li>j) Interest Accrued on Staff</li>	47,82,932.00	20,94,620.00
<ul> <li>c) Advances Recovered from Staff</li> </ul>	2,71,08,000.00	2,27,28,000.00	Advance	15,93,443.00	26,04,330.00
d) Other Advances Recovered	7,75,00,000.00	11,87,00,000.00	<ul><li>k) Prepaid Expenses for NATA</li></ul>	21,02,669.00	
<ul> <li>e) TDS Refund received for</li> </ul>	22,61,276.00	22,19,668.00	Examination		5,52,62,075.00
A.Y.1995-96 & 1996-97	42,47,530.26	29,72,897.00	<ol> <li>Advance to NBCC for Office</li> </ol>	0.00	4,05,12,502.00
e) Interest adjusted agst. Interest	18,14,391.00	12,85,682.00	Space	3,97,11,058.00	0.00
Accrued			m) OD Balance repaid	1,7,36,095.00	0.00
<li>f) Taxes/ Amount/Postage payable</li>	62,71,383.00	13,10,928.00	n) Services Tax Demand/ Advance	43,82,445.00	0.00
g) NATA Fees Advance			<ul> <li>Income Tax Refund against IT</li> </ul>		
h) Amount received from Advertisers	2,57,959.00	0.00	Demand for A.Y. 2014-15		
<ol> <li>Evaluation Fees Advance</li> </ol>	5,31,26,500.00	1,58,23,750.00	VII. Closing Balance		28,506.00
j) Thesis Award Programme	0.00	24,85,155.00	a) Cash In hand	1,31,517.00	1,34,983.01
_	7,82,00,000.00	3,41,50,000.00	b) Bank Balances	2,52,636.77	85,21,144.26
	46,66,711.00	0.00	In Current accounts	2,38,52,582.42	4,19,330.00
			Savings Accounts	15,32,414.00	0.00
			<ol><li>Drafts at Hand</li></ol>	2,73,772.00	
TOTAL	47,57,00,681.37	37,02,29,327.21	TOTAL	47,57,00,681.3	37,02,29,327.21
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,, , , ,===1		7	,. , . <del>,</del>
				•	
	1	l	l .		

### For and on behalf of **COUNCIL OF ARCHITECTURE**

**Sd/-** (REGISTRAR) Sd/- (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date

For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

FRN 008621C Sd/-

(SHAILESH KUMAR) M.N.077337

Place: New Delhi Date: 26.09.2017